संख्या- 118/2015/1642/22-4-14-48(53)/10

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 18 मई, 2015

विषय- जिला कारागार, आगरा की मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 39378/नम-1/120, दिनांक- 22.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, आगरा की मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-463/22-4-11-48(53)/10, दिनांक 23.02.2011 द्वारा रू0 578.02 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी। सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 8,26,56,000/-(रूपया आठ करोड़ छब्बीस लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) पुनरीक्षित आगणन में लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियां एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों की आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in